संक्षिप्त

डोडा पोस्त चुरा बरामद किया

दूदू। स्थानीय थाने की पुलिस ने नॉकआउट ऑपरेशन अभियान के तहत कार्रवाई कर जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित तेतरवालो की ढाणी के पास मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों का गिरफ्तार कर अवैध रूप से बेच रहे मादक पदार्थ 3 किलो बेहतर ग्राम डोडा पोस्त चुरा बरामद कर काम में ली जा रही मोटरसाइकिल जप्त कर ली गई पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण आनंद शर्मा ने बताया कि पुलिस को मिली सूचना के अनुसार कोई व्यक्ति मादक पदार्थ बेच रहा है के पश्चात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बेरवा और उप पुलिस अधीक्षक दीपक खंडेलवाल एवं थाना निरीक्षक मुकेश कुमार खराडिया की टीम ने पहुंचकर दो युवकों से पूछताछ की गई आरोपी जीतराम गुर्जर निवासी बंदर सिंदरी प्रदीप राजपुरोहित निवासी केकड़ी के पास से 3 किलो 72 ग्राम डोडा पोस्त चूरा वह परिवहन में काम ली गई मोटरसाइकिल जप्त की।

बैठक मंगलवार को

निवाई। स्कूल शिक्षा परिवार के तत्वावधान में विश्व भारती माध्यमिक विद्यालय परिसर में मंगलवार की शाम 4 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में शिवदयाल पंवार, शिवराज चौधरी, रामकल्याण चौधरी, कमलेश गौतम, रामेश्वरप्रसाद जांगिड़, ललित सक्सेना, ब्रजसुंदर शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा व ललित जायसवाल सहित कई कई संस्था प्रधान मौजूद थे।

एक रुपये का नेग लेकर की शादी

सांभरझील, (निसं)। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए जहां पर सैकड़ों सामाजिक संगठन विभिन्न कार्यक्रमो के माध्यम से समाज में जनचेतना लाने का काम कर रहे हैं वहीं एक दम्पति ने भी दहेज प्रथा को खत्म करने में सराहनीय कदम उठाया। तहसीलदार भींवाराम वर्मा, राजकीय अध्यापिका प्रभातीदेवी ने अपने पुत्र अभिषेक की शादी में शगुन के नाम पर सिर्फ एक रुपया ही लिया।

विधायक, संभागीय आयुक्त, आईजी, कलेक्टर व एसपी ने आश्रम का किया निरीक्षण

कोटपूतली/पावटा। आगामी 6 अप्रैल को बावड़ी स्थित बाबा बालनाथ आश्रम में प्रस्तावित माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव एवं मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों को लेकर गुरुवार को विधायक विराटनगर कुलदीप धनकड़, संभागीय आयुक्त पूनम जी, पुलिस महानिरीक्षक अजय पाल लांबा, जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सभा स्थल, सुरक्षा प्रबंध, यातायात नियंत्रण, पार्किंग, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाओं सहित अन्य

तैयारियों को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया।

आवश्यक व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की।

विराटनगर विधायक कुलदीप धनकड़ ने मंदिर परिसर पहुंच कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं सम्बंधित अधिकारियों व आश्रम कमेटी को समन्वय से कार्य करते हुए सभी तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने को कहा। उन्होंने प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों की विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सुरक्षा व्यवस्था व आमजन की सहूलियत के लिए अन्य व्यवस्थाएं पुख्ता रखने को

- प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेकर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

कहा। संभागीय आयुक्त पूनम ने कहा आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है, इसके दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

उन्होंने कार्यक्रम के दौरान भी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आश्रम कमेटी के पदाधिकारियों से लगातार संपर्क में रहकर सभी व्यवस्थाएं आपसी समन्वय से सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान आईजी अजय पाल लांबा ने कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वीआईपी आगमन एवं आमजन की सुविधा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद होनी चाहिए। यातायात नियंत्रण एवं रूट डायवर्जन की प्रभावी योजना बनाई जाए ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने आयोजकों एवं संबंधित अधिकारियों से व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए छाया, पेयजल एवं बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। वहीं चिकित्सा सुविधाओं के तहत एंबुलेंस एवं प्राथमिक चिकित्सा दल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर की चर्चा

निवाई। संयुक्त बैरवा महासभा के तत्वावधान में आयोजित निःशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर नला रोड पर स्थित बैरवा छात्रावास में धन्नालाल बैरवा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। रामदयाल गौनावत एवं भवानीसिंह नला ने बताया कि बैरवा महासभा की तत्वावधान में सर्वसम्मति से 8 मई को नला रोड पर स्थित बैरवा छात्रावास पर विशाल निःशुल्क विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जिसकी तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई। उन्होंने बताया कि बैठक में संयुक्त बैरवा महासभा का पंजीयन करवाने का निर्णय लिया एवं विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर छात्रावास परिसर का जायजा लिया। इस अवसर पर प्रहलाद मोटेका, रामप्रसाद, संजय बैरवा नला, एडवोकेट रामदेव, विगनेश हरसोती एवं भेरूसिंह ढुंडिया सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।

जिला कलक्टर ने जिलेभर में ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर की जनसुनवाई

दौसा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार हर महीने की त्रिस्तरीय जनसुनवाई के तहत पहले गुरुवार को जिले की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पर्यवेक्षक अधिकारियों की मौजूदगी में जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं का समाधान किया गया। जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने लालसोट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत ठेकला एवं पट्टी किशोरपुरा ग्राम पंचायतों में जनसमस्याए सुनकर निस्तारण करवाया। जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार ने व्यक्तिगत तौर पर एक.एक परिवादी की समस्या को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करवाया। उन्होंने शेष परिवादों को निश्चित समय सीमा में नियमानुसार निस्तारित कर आमजन को राहत देने के निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि ग्रामवासियों की समस्या को उन्हीं के स्थान पर आकर सुने और उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो। उन्होंने कहा कि सरकार एवं प्रशासन आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वह परिवादियों की समस्या का समाधान न्यूनतम समय में करने का प्रयास करें।

अगर किसी प्रकरण में प्रक्रियागत किसी औपचारिकता की जरूरत हो तो उसके बारे में परिवादी को विस्तार से बताएं। ठेकला ग्राम पंचायत में जनसुनवाई के दौरान दिव्यांग लख्खीराम जागा ने दिव्यांग प्रमाण पत्रा बनवाने का आग्रह किया जिस पर जिला कलक्टर ने संवेदनशीलता दिखाते हुए मौके पर ही ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को लख्खीराम का नियमानुसार दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर दिव्यांग पेंशन शुरु करवाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने अवरूद्ध रास्ता खुलवाने का आग्रह कियाए जल जीवन मिशन के तहत किशनपुरा गांव में हनुमान जी मंदिर राममोला व आसपास की ढाणी में पेयजल समस्या का जिक्र करते हुए नल कनेक्शन करवाने और ढाणी मालियान में पानी के लिए पाइप लाइन डलवाने की मांग की।

स्कूल में नल कनेक्शन करवाने कृषि विभाग की ओर से अनुदान राशि दिलवाने एवं एनएच 11 बी से मीना ढाणी तक रास्ता कटवाने की मांग सहित 14 प्रकरण प्राप्त हुए। जिला कलक्टर ने इन परिवादों पर अधिकारियों के साथ चर्चा कर उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये। ग्रामीणों ने नाली निर्माण की मांग कीए जिस पर जिला कलक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता को रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए ताकि उदित कार्यवाही कर ग्रामीणों को राहत पहुंचाई जा सके। आम रास्ते से अतिक्रमण हटानेए राजकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन का जिर्णोद्धार कराने सहित 16 परिवाद प्राप्त हुए जिन पर जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही कर रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा, उपखंड अधिकारी लालसोट विजेन्द्र मीणा, विकास अधिकारी, तहसीलदार सहित जिला स्तरीय एवं उपखंड स्तरीय अधिकारी, स्थानीय सरपंच, कार्मिक एवं ग्रामवासी मौजूद रहे।

नाम परिवर्तन

मैं आर्मी नं. JC- 878520Y रैंक NB Sub. (DMT) दिसले संजय बापूराव निवासी राजापूर, तहसील-खटाव, जिला-सातारा, महाराष्ट्र ने अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपनी पत्नी का नाम सुषमा दिसले से बदलकर सुषमा संजय दिसले कर दिया है।

I have changed my name from Abdul Rahman Bagwan to Abdul Rahman for all purposes R/o M.I. Road ke Piche Panch Batti Jaipur.

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज
क्रमांक :-एफ-13( )उपा.लैण्ड ./नानिज / 2025 /04
सार्वजनिक सूचना दिनांक-02.04.2025
मूल भूखण्ड सं. 108 -ए, तनेजा ब्लॉक, आदर्श नगर, जयपुर का आवंटन श्री किशनचंद पुत्र श्री टेबचन्द को दिनांक 15.11.1975 को आवंटन पत्र जारी किया गया था। श्री वितुल भाटिया एवं श्री आशीष कुमार भाटिया पुत्रान श्री रमेशचंद भाटिया द्वारा हकत्याग, वसीयत के आधार पर व शपथ पत्र प्रस्तुत कर का एवं अन्य दस्तावेजो के आधार पर आवेदन प्रस्तुत कर 261.32 व.ग. का पट्टा हेतु आवेदन किया गया है। इस बाबत किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय (उपायुक्तलैण्ड शाखा) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, नियमानुसार पट्टा जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।
उपायुक्त (लैण्ड), नगर निगम जयपुर हैरिटेज

खोया-पाया

अग्रवाल समाज मालवीय नगर के सहकारिता विभाग में रजिस्ट्रेशन की फाइल सहित महत्वपूर्ण दस्तावेज 12 मार्च, 2025 को कहीं गिर गए हैं जिसको मिले सूचित करें। 9460414344

मेरा प्लाट नंबर 29 मोहन वाटिका द्वितीय रघुनाथपुरा रोड कानोता का आवंटन पत्र, साइड प्लान, रसीद कहीं खो गए हैं। मिलने पर सूचित करें- 7790958380

मेरे मकान सं. 265/437 प्रताप नगर जयपुर का मूल नियमितिकरण राशि मांग पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सम्पर्क करें :-
मधु - 9314888930

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 129/2025
चूंकि श्री लक्ष्मीनारायण मीना निवासी हनुमान मंदिर कल्याण नगर तृतीय, सीताबाड़ी के सामने टोंक रोड, सांगानेर जयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1950 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास हनुमान मंदिर प्रन्यास कार्यालय का पता हनुमान मंदिर कल्याण नगर तृतीय, सीताबाड़ी के सामने, टोंक रोड, सांगानेर जयपुर 302029 के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अवएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के संबंध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 1/4/25 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 5/6/25
सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान का आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

पंच कल्याण महोत्सव घट व श्री जी की शोभायात्रा शुरू

देवली । शहर के कूंचलवाड़ा रोड़ कॉलोनी में श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मन्दिर में गुरुवार से लघु पंच कल्याण महोत्सव घट व श्री जी की शोभायात्रा के साथ शुरू हो गया।आयोजन स्थल पर ध्वजारोहण, मंड़प उद्घाटन, चित्र अनावरण कार्यक्रमों बाद प्रवचन हुए। धर्मसभा में आर्यिका गणिनी स्वस्तिभूषण माताजी ने कहा कि मनुष्य जीव ही गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान एवं मोक्ष की पंच कल्याणक क्रियाओं से भगवान बनते है।वह मां सौभाग्यशाली होती है जिनके कोख में भगवान आते है और मां की सेवा में देवियां आती है।एक नारी पूर्ण तब ही समझती है जब उसकी कोख में तीर्थंकर जीव आए तो तीनों लोक में खुशियां आ जाती है।उन्होंने कहा पंचकल्याणक भावों से करें तो असंख्य पूण्य और अनंत पापों का नाश करता है।जिस तरह लाभ शब्द को उल्टा करेंगे तो भला होता है वैसा ही महत्व पंचकल्याणक का है।वही मुनि सुप्रभ सागर महाराज ने कहा पंचम काल मे भगवान पैदा नही होते।लेकिन पंचकल्याणक में उसकी तरह की क्रिया से पाषाण से भगवान बनाने की क्रिया संपन्न की जाती है।उन्होंने कहा कुंभकार मिट्टी को मिलाकर तपड़े लगाकर आकर देता है।वही तपकर घड़ा बनकर पानी भरने पर शीतलता और सिर पर धारण कर मंगल बन जाता है। वैसे ही मनुष्य जीवन में तप व तपस्या कर केवलज्ञान की शक्ति प्राप्त करें।मुनिश्री ने कार्यक्रम में ध्वजारोहण करने को विजय व समृद्धि का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा पंचकल्याणक में श्रद्धा और शुद्धता से की क्रियाओं के बाद पाषाण की प्रतिमा भी जिनालयों में स्थापित होने पर अतिशय करी हो जाएगी। महोत्सव पर निकाली घट व श्रीजी की शोभायात्रा--महोत्सव की शुरुआत में श्री महावीर मंदिर से मुनि वैराग्य सागर, मुनि सुप्रभ सागर, आर्यिका स्वस्तिभूषण माताजी के सानिध्य में घट व श्रीजी की शोभायात्रा मुख्य बाजार, पेट्रोल पंप होकर कूंचलवड़ा रोड़ से जैन कॉलोनी आयोजन स्थल पहुंची।। जिसमे बैण्ड़ बाजे एवं घोड़ी बग्गियों में भगवान के माता-पिता, सोधर्म इन्द्र परिवार,यज्ञ नायक, कुबेर इन्द्र, सानत, इशान इन्द्र, महेन्द्र, ब्रह्म इन्द्र, ब्रह्मोत्तर, लान्तव इन्द्र, कपिष्ठ , शुक्र इन्द्र, महाशुक्र, सत्तार इन्द्र बैठे थे। वही महिला, युवा मण्ड़ल एवं पुरुष भजनों पर नृत्य कर साथ चल रहे थे। गर्भ कल्याणक संस्कार,गोदभराई की रस्में निभाई। शाम को आरती, शास्त्रसभा,रात्रि को आनंदोत्सव,बालक को पालना व बाल क्रीड़ा कार्यक्रम होंगे।

सुलभ शौचालय पर ताला, भटक रहे श्रद्धालु

साभरझील, (निसं)। सांभर देवयानी सरोवर स्थित आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनवाया गया करीब 20 लाख रुपए का सुलभ शौचालय पर आए दिन ताला लटका मिलता है। पालिका प्रशासन द्वारा विधायक कोष से इसका निर्माण करवाया गया था। यहां के मंदिर पुजारियों से बात करने पर बताया कि इस मामले में कई दफा नगरपालिका प्रशासन को बोलकर ताला खुलवाया गया था कुछ समय तो ठीक-ठाक रहता है लेकिन फिर उसके बाद इस शौचालय पर ताला ऐसे लटका दिया जाता है जैसे करोड़ों रुपए का ज्वेलरी शोरूम हो।

पुजारियों ने यह भी बताया कि राजस्थान के हर जिलों से यहां पर आकर श्रद्धालु स्नान करने व दर्शन हेतु आते हैं। अपने परिवार के साथ आते हैं। उनके साथ छोटे बच्चे भी होते हैं। ऐसी स्थिति में लघुशंका व शौचालय जाने के लिए अन्य कोई साधन नहीं है और ताला लटका देखकर मजबूरन खुले में सोच के लिए जाना पड़ता है यह पालिका के लिए बहुत ही शर्मसार विषय है नेतागण कोई बोलता नहीं है बोलता है तो कोई भी सुनता नहीं है। नागरिक विकास समिति के कार्यकारी अध्यक्ष व पार्षद अनिल कुमार गट्टानी का कहना है कि यह तो बहुत बड़ी गलती है।

महात्मा गांधी पुस्तकालय पर 24 साल से लटके ताले

मालपुरा, (निस)। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित महापुरूषो एवं देश व प्रदेश के इतिहास की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के उदेश्य को लेकर वर्ष 2000 मे तत्कालीन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के सभी ब्लॉक मुख्यालयो पर लाखो रूपयो की लागत से महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना के तहत मालपुरा मे विधार्थियो व आमजन के लिये पुस्तकालय का निर्माण करवाया गया था लेकिन इस भवन पर आज तक ताले लटके हुये है तो भवन धीरे-धीरे खण्डर मे तब्दील होने लगा है। उक्त भवन को लेकर जानकारी जुटाई गई तो सामने आया कि अनुमानित वर्ष 2000 मे राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के सभी उपखण्ड मुख्यालयो पर राजस्थान महात्मा गांधी पुस्तकालय योजना के तहत भवन निर्माण करवा इनमे लाखो रूपयो का फर्निचर,लेपटॉप व इतिहास एवं संस्कृति से जुडी किताबे उपलब्ध करवाई गई थी। जिनका विधार्थियो व आमजन को लाभ मिल सके।

उक्त योजना के तहत सीनियर सैकेण्डरी स्कुल मालपुरा परिसर मे महात्मा गांधी पुस्तकालय भवन का निर्माण करवाया गया था। निर्माण ऐजेंसी ने तत्कालीन विधालय प्रधानचार्य रतन लाल जैन व विद्यालय विकास समिति को हैण्डऑवर किया गया था। तभी से उक्त भवन स्थानीय विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति के अधीन है। शिक्षाविदो से मिली जानकारी के अनुसार उक्त भवन सार्वजनिक रूप से आमजन के लिये खोले जाने का प्रावधान उक्त योजना मे रखा गया था। जिसमे इतिहास की जानकारी के साथ-साथ आमजन को रोजाना एक स्थान पर बैठकर समाचर पत्र पढने की सुविधा मिल सके। साथ ही उक्त योजना मे यह भी प्रावधान रखा गया था कि विद्यालय परिसर मे बने पुस्तकालय भवन का उपयोग विद्यालय मे अध्यनरत विधार्थियो के लिये एक स्थान पर बैठकर अध्ययन करने की भी सुविधा रहेगी। लेकिन प्रशासनिक अनदेखी के चलते उक्त भवन के निर्माण के बाद से ही इसका सदूपयोग व सुव्यवस्थित संचालन नही होने तथा राज्य सरकार द्वारा या फिर शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन अथवा अन्य किसी ऐजेंसी द्वारा बजट उपलब्ध नही करवाने के चलते भवन पर आज भी ताले लटके हुये है। भवन की छत जीर्णशीर्ण हो जाने व बरसाती पानी का रिसाव हो जाने के चलते विधालय प्रशासन ने भवन मे रखी किताबे,फर्नीचर एवं लेपटॉप सहित अन्य संसाधन विधालय मे सुरिक्षत रखवाये गये है।

आचरण में सुधार कर अपराधिक प्रवृत्ति को छोड़ बने अच्छे नागरिक : सूरजभान

किशनगढ़ बास। अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 02 जगदीश चन्द के आदेशानुसार पीएलवी सूरजभान कछवाहा, पैनल अधिवक्ता मुकेश सैनी नें उपकारागृह किशनगढ़ बास में विधिक जागरूकता शिविर लगाकर बंदियों को कानूनी जानकारी देते हुए निशुल्क विधिक सहायत के बारे में बताया। पीएलवी सूरजभान ने बताया शिविर के दौरान उपस्थित 150 निरूद्ध बंदियों से वार्ता कर उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी गई। ऐसे बंदीगण जिनके प्रकरणों में निःशुल्क विधिक सहायता के तहत अधिवक्ता नियुक्त है उनसे उनके प्रकरणों में निःशुल्क अधिवक्ता द्वारा की जा रही पैरवी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई।

इस दौरान बंदियों को आवश्यक विधिक सलाह प्रदान की गई एवं जिन बंदियों के प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त नहीं थे उनके निःशुल्क विधिक सहायता हेतू 02 आवेदन पत्र भरवाए गए। उन्हें

उप कारागृह में शिविर लगाकर बंदियों को निःशुल्क विधिक सेवा सम्बंधित जानकारी देने पहुंचे पीएलवी सूरजभान व पैनल अधिवक्ता।

लीगल एड डिफेंस काउंसिल के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बंदी अपने प्रकरण में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते है एवं अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की ओर से निःशुल्क पैरवी की जा सकती है।

इस दौरान पीएलवी व पैनल अधिवक्ता ने उपस्थित बंदीजन को अपने आचरण में सुधार करने एवं पुनः अपराध न करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही बंदियों के अधिकारों जैसे कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होने पर निःशुल्क विधिक सहायता अथवा अपील के लिए सरकारी सहायता से वकील प्राप्त करने का अधिकार, समय पर वांछित चिकित्सा उपचार प्राप्त करना, परिजनों से 15 दिवस में एक बार मुलाकात, स्वयं के व्यय पर पढ़ने-

- विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार किशनगढ़ बास उप कारागृह में विचाराधीन बंदियों के लिए लगाया गया शिविर, दी गई विधिक सहायता सम्बंधित जानकारी

लिखने हेतु लेखन सामग्री प्राप्ती का अधिकार, फैक्ट्री/जेल सेवा में दिए गए कार्य से अतिरिक्त मात्रा में किए गए कार्य हेतु मजदूरी पाने का हक आदि की जानकारी दी गई। तथा बंदियों को प्राप्त आपात पैरोल के अधिकार के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर कारापाल रामेश्वर लाल चौधरी, प्रहरी तेज सिंह सहित अन्य जेलकर्मी व विचाराधीन आदि बंदीगण मौजूद रहे।

रात्रि चौपाल का आयोजन

नारायणपुर। ग्राम पंचायत खरखडी में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को नेशनल हाईवे 248ए को नारायणपुर से निकालने के लिए जागरूक किया गया। इस चौपाल में ग्रामवासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और सहयोग किया। इस अभियान के तहत पोस्टकार्ड एवं हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा हैं, जिसमें 2000 पोस्टकार्ड लिखे जाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक 2520 पोस्टकार्ड लिखे जा चुके हैं। इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर मोनू शर्मा ने पोस्टकार्ड अभियान में जुटे वॉलेंटियर्स को लक्ष्य से अधिक कार्य करने के लिए धन्यवाद दिया। इस अभियान को आगे बढ़ाने और अपने हक के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। इस मौके पर खरखड़ी सरपंच भागीरथ सैनी, सुनील कुमार शर्मा, अशोक सोनी, रामौतार गुर्जर, हवासिंह चौधरी, पिंटूसिंह, किरोड़ी सैनी, हनुमान मीणा, रामसिंह गुर्जर, मुकेश सैन, केसरपाल सिंह शेखावत, शंकर स्वामी, बलबीर सैन, मोहित यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

कार्यालय उपायुक्त किशनपोल जोन नगर निगम जयपुर
सोकिया स्कूल के सामने घाटगेट, जयपुर पिनकोड 302003
क्रमांक : F-52/DC/KPZ/2025/435 दिनांक : 03.04.2025
सार्वजनिक आपत्ति सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सुश्री वर्षा लक्ष्यानी पुत्री श्री लक्ष्मण लख्यानी ने मकान संख्या 448 गोविन्द राय जी का रास्ता चांदपोल बाजार जयपुर का 69-क, के तहत आवेदन पत्र के साथ स्वामित्व संबंधित दस्तावेजों की फोटो प्रतियां प्रस्तुत कर उक्त सम्पत्ति का स्वयं का क्षेत्रफल 231.05 वर्गगज का नाम पट्टा चाहा है। उक्त मकान के संबंध में किसी व्यक्ति/सरकारी/गैर सरकारी संस्था या अन्य किसी को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें। बाद मियाद गुजरने के आवेदन का नियमानुसार निस्तारण कर दिया जावेगा।
उपायुक्त
किशनपोल जोन, नगर निगम, जयपुर (हैरिटेज)

कार्यालय तहसीलदार तहसील सांगानेर
क्रमांकः-रीडर/25/207 दिनांक 03.04.25
आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम केशोपुरा पटवार हल्का मांग्यावास के खाता सं.185 के वर्तमान खा. नं. 563 रकबा 1.14 है0, 592 रकबा 0.08 है0 व 593/906 रकबा 0.04 है0 में हिस्सा 1/2 की खातेदारी स्व. श्री रामनाथ पुत्र स्व. भैरू राम जाति हरियाणा ब्रा0 निवासी ग्राम केशोपुरा के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नंबरान के संबंध में रजि0 वसीयत के आधार पर नामांतरकरण खोलने बाबत प्रार्थी हनुमान सहाय शर्मा व रामस्वरूप शर्मा पुत्रान स्व0 रामनाथ निवासी केशोपुरा द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया है जो इस न्यायालय में विचाराधीन है, उक्त खसरा नंबरान तथा वसीयत के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो कार्यालय की विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि में आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर आवेदक के पक्ष में नामांतरकरण की कार्यवाही नियमानुसार कर दी जावेगी।
तहसीलदार
तहसील-सांगानेर (जयपुर)

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये निगम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रान्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर : DEV/JAIPUR-1/TRUST/2025/151
चूंकि प्रार्थी श्री SHAHRUKH KHAN, WARD NO 10, MANIYARO KA MOHALA, RUNDAL, JAIPUR, RAJASTHAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास
द्वे कैरियर वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, WARD NO 10, MANIYARO KA MOHALA, RUNDAL, JAIPUR, RAJASTHAN के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रायोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है,
में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकरी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है
कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि
कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोत्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उत्त आवेदन-पत्र
निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 01-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गाया।
आइदा तारीख पेशी 05/06/2025
सहायक आयुत्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये निगम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रान्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर: DEV/JAIPUR-1/TRUST/2025/153
चूंकि प्रार्थी श्री YOUGENDRA SINGH, 40 SHIVPURI A OPPOSITE OMKARESHWAR SHIV MANDIR JHOTWARA JAIPUR RAJASTHAN ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास
नटराज कलापीठ 40 SHIVPURI A OPPOSITE OMKARESHWAR SHIV MANDIR JHOTWARA JAIPUR RAJASTHAN के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रायोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है,
में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकरी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है
कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां,यदि
कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोत्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उत्त आवेदन-पत्र
निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 01-04-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गाया।
आइदा तारीख पेशी 05/06/2025
सहायक आयुत्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये निगम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रान्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम)
देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुक